ऑपरेशन ब्लेक मनी!!!

जयपुर मे चल रही काले धन की समानांतर अर्थ-व्यवस्था!!

जयपुर शहर की सैंकड़ों वैध/अवैध बिल्डिंगे बनी काला धन खपाने का जरिया!!

बिल्डिंग के लिए जमीन खरीद फरोख्त से लेकर बिल्डिंग बनाने और फ़्लेटो के बेचान तक मे हो रहा काले धन का खुलकर लेनदेन!!

मनी लोंडरिंग,अन्डर बिलिंग,हवाला,शैल कंपनियों और बेनामी संपत्तियों के जरिए

भाग-1

खप रहा जयपुर की अनगिनत बिल्डिंगों मे काला धन!!

ईंट,रोड़ी,बजरी,सीमेंट,लोहा,लकड़ी आदि के पेटे हो रहा भुगतान दो नंबर मे!!

जीएसटी,इनकम टेक्स,स्टेम्प ड्यूटी,रॉयल्टी टेक्स और कई अन्य नगरीय विकास करो की खुलेआम हो रही चोरी!!

कर चोरी का नया तरीका!!बड़े प्रोजेक्ट्स की बजाय छोटे प्रोजेक्ट्स मे कर रहे निवेश, हर प्रोजेक्ट के लिए बना रहे नई कंपनी!!

देश के विकास मे काम आने वाला करोड़ों रुपयों का टेक्स जा रहा कुछ बेईमान बिल्डरों की जेब मे!!

पता:-S1,झारखंड अपार्टमेंट,सगत सिंह मोड,जनरल सगत सिंह मार्ग,खातीपुरा-302012 मोबाइल:-9828346151

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी

सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...
JAWAB DO SARKAR ™
www.jawabdosarkar.com
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी
सूचना प्रोद्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल
जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल
रेफरेंस संख्या –2022/kdgl/21 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | गुरुवार, 6 अक्तूबर 2022

करोड़ों रुपयों की टेक्स चोरी कर, कुछ बिल्डर कर रहे गंभीर आर्थिक अपराध!!

आर्थिक अपराधों को सुप्रीम कोर्ट मान चुका है देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर खतरा!

आर्थिक अपराधियों के मामलो मे सामान्य अपराधियों के समान निर्णय नहीं दिये जा सकते,क्यूंकि आर्थिक अपराधी एक तरह से समानान्तर अर्थ व्यवस्था का संचालन करते है और यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को गंभीर खतरा है| ....*माननीय सर्वोच्च न्यायालय|*

राजस्थान की जनता कर रही सवाल??
कब होगी इन सफेदपोशों पर बड़ी कार्यवाही???

आखिर कब इनकम टेक्स और प्रवर्तन विभाग जैसी जांच एजेंसियां करेंगी आर्थिक अपराध करने वाले इन बिल्डरों के खातों की जांच!!

जयपुर मे चल रही काले धन की समानांतर अर्थ-व्यवस्था!!जयपुर शहर की सैंकड़ों वैध/अवैध बिल्डिंगे बनी काला धन खपाने का जरिया!!

2/11/21, 1:49 PM Property worth Rs 300 crore recovered from Ajaypal Singh - Times of India

Printed from
THE TIMES OF INDIA

Property worth Rs 300 crore recovered from Ajaypal Singh

TNN | Feb 1, 2009, 06.25 AM IST

JAIPUR: During the three-day long raids at the house and offices of former Rajasthan Housing Board chairman Ajaypal Singh and his brother Ajitpal Singh, the income tax (IT) department recovered property and related documents worth over Rs 300 crores.

Property worth Rs 105 crores, including Rs 19 crore in cash, 18 lockers in various banks, land purchase documents worth Rs 40 crores and others, were recovered from

with investments worth Rs 328 crores, a Mauritius-based company with foreign

ave been sealed and officials are still probing the case. Besides their 18 lockers in the

nsaction documents worth crores of rupees, he said. He also said that the department

nded by the brothers, in which around 400 people had in

her persons.

Zee Rajasthan ▸ कोटा

जयपुर-कोटा में बिल्डर,ज्वेलर पर आयकर टीम की बड़ी कार्रवाई, 36 ठिकानों पर छापा, बेनामी संपत्तियों के खुलेंगे राज

इनकम टैक्स विभाग ने जयपुर के एक बड़े कारोबारी समूह पर आज कार्रवाई शुरू की है जिसमें जयपुर समेत कोटा में भी उसके ठिकानों पर दबिश दी गई है. आयकर विभाग की टीमों द्वारा छापेमारी में देवाशीष सिटी नाम से आकाश ग्रुप के रियल स्टेट कारोबारी के ठिकानों पर भी पड़ी है.

Written By Zee Rajasthan Web Team | Last Updated: Aug 03, 2022, 08:58 PM IST

गुलाबी शहर में कालाधन: इनकम टैक्स रेड में 3 कारोबारी समूहों की 1500 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा, गुलाबी पोटलियों में छुपाया था काली कमाई का हिसाब

जयपुर 2 वर्ष पहले

वर्ष 2021 मे राजस्थान में आयकर विभाग द्वारा अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी की गई थी|आयकर विभाग की इस जांच में 1700 करोड़ से अधिक की काली कमाई का खुलासा किया गया था|आयकर विभाग ने जयपुर में सर्राफा कारोबारी, दो रियल स्टेट डेवेलपर के यहां यह छापा मारा था|इस छापेमारी मे आयकर विभाग को सर्राफा व्यापारी के यहां एक सुरंग भी मिली थी,जिसमें आयकर विभाग को 700 करोड़ की जायदाद की जानकारी मिली थी|आयकर विभाग के अनुसार ये छापे शहर के तीन बड़े कारोबारी समूहों सिल्वर आर्टग्रुप, चोरडिया ग्रुप और गोकुल कृपा ग्रुप पर की गई थी| इस दौरान 1700 से 1750 करोड़ रुपये की दो नंबर की कमाई का खुलासा हुआ था|

आपको बता दें कि इस तरह के छापे विगत 10-15 सालों मे करीब करीब जयपुर के सभी बड़े रियल कारोबारियों और बिल्डरों पर पड़ चुके है और करोड़ों-अरबों का काला धन जांच एजेंसियों द्वारा उजागर किया जा चुका है|लेकिन जांच एजेंसियों के तमाम प्रयासों को धत्ता बताते हुए, रियल एस्टेट कंपनियां और बिल्डर फर्मकाले धन के इस्तेमाल के साथ साथ, कर-चोरी के नए हथकंडे अपना रही है|यदि देखा जाए तो राजधानी जयपुर समेत पूरे प्रदेश मे रियल स्टेट और बिल्डिंग कारोबारियों द्वारा काले धन की समानांतर व्यवस्था कायम हो चुकी है|

कर चोरी का नया तरीका!!नामी रियल एस्टेट कंपनियां और बिल्डर फर्म बड़े प्रोजेक्ट्स की बजाय छोटे प्रोजेक्ट्स मे कर रहे निवेश,हर प्रोजेक्ट के लिए बना रहे नई कंपनी!!

जयपुर की बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों और बिल्डर फ़र्मों ने कर चोरी का नया तरीका ईजाद किया है|यह कंपनियां अपने ब्रांड को स्थापित रखने के लिए बड़े प्रोजेक्टों के साथ अब शहर की प्रमुख कॉलोनियों मे छोटे-छोटे प्लॉटों को एक करवा कर,या इन कॉलोनियों के बड़े भूखंडों पर नई कंपनियां बना कर,वहाँ पर 8 से 30 फ़्लेटो के अपार्टमेंट बना कर,बेचने का गौरख धंधा कर रहे है|देखा जाए तो इन छोटे प्रोजेक्टों मे यह बड़ी कंपनियां बतौर फायनेंसर की भूमिका अदा कर रही है|साथ ही इन फ़्लेटो को बेचने के समय भी इन बड़ी कंपनियों का हवाला दिया जाता है,जिससे ग्राहक भरोसा जल्दी कर लेता है|

बिल्डिंग के लिए जमीन खरीद फरोख्त से लेकर बिल्डिंग बनाने और फ़्लेटो के बेचान तक मे हो रहा काले धन का खुलकर लेनदेन!!

आपको बता दें इन छोटे प्रोजेक्टों को बनाने के लिए जमीनो की खरीद-फरोख्त से लेकर बिल्डिंग बनाने और तैयार फ़्लेटो के बेचान तक मे काले धन का खुलकर लेनदेन किया जा रहा है और जांच एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लग रही है|अमूमन जहां बड़े प्रोजेक्ट बनाने मे जमीन खरीद की कीमत,निर्माण लागत और बने हुए फ्लेटस/यूनिट्स की कीमत सार्वजनिक करनी पड़ती है वही इन छोटे प्रोजेक्टों मे ऐसा नहीं किया जाता है|जिसका बेजा फायदा रियल एस्टेट कंपनियां काले धन को भुनाने के लिए करती है|

मनी लोंडरिंग,अन्डर बिलिंग,हवाला,शैल कंपनियों और बेनामी संपत्तियों के जरिए खप रहा जयपुर की अनगिनत बिल्डिंगों मे काला धन!!ईंट,रोड़ी,बजरी,सीमेंट,लोहा,लकड़ी आदि के पेटे हो रहा भुगतान दो नंबर मे!!जीएसटी,इनकम टेक्स,स्टेम्प ड्यूटी,रॉयल्टी टेक्स और कई अन्य नगरीय विकास करो की खुलेआम हो रही चोरी!!

इन छोटे प्रोजेक्टों को जांच एजेंसियों की नजरों से बचाने के लिए अधिकतर मनी लोंडरिंग,अन्डर बिलिंग,हवाला,शैल कंपनियों और बेनामी संपत्तियों का सहारा लिया जाता है|शैल कंपनियों के जरिए जमीनो को खरीदा जाता है,जिसमे JV बता कर,एक अलग शैल कंपनी द्वारा निर्माण करवाया जाता है|इन जमीनो की खरीद एक नंबर मे DLC रेट पर की जाती है,जबकि मार्केट रेट का भुगतान दो नंबर मे मनी लोंडरींग और हवाला के जरिए किया जाता है|

इसी के साथ निर्माण कार्य मे प्रयुक्त ईंट,बाजरी,सीमेंट,लोहे,लकड़ी,सेनेट्री आदि का भुगतान भी अंडर बिलिंग के जरिए किया जाता है,जिससे जीएसटी,इनकम टेक्स,स्टेम्प ड्यूटी,रॉयल्टी टेक्स और कई अन्य नगरीय विकास करो की खुलेआम चोरी की जा रही है|

करोड़ों रुपयों की टेक्स चोरी कर,कुछ बिल्डर कर रहे गंभीर आर्थिक अपराध!! आर्थिक अपराधों को सुप्रीम कोर्ट मन चुका है देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर खतरा!

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) केस में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपने फैसले में कहा है कि गंभीर अपराध से निपटने के लिए कड़े कदम जरूरी हैं. मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) ने आतंकवाद को भी बढ़ावा दिया है, यह आतंकवाद (Terrorism) से कम जघन्य नहीं है. SC ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधि का देशों की संप्रभुता और अखंडता पर अंतरराष्ट्रीय प्रभाव पड़ता है. मनी लॉन्ड्रिंग को दुनियाभर में अपराध का एक गंभीर रूप माना गया है और अंतरराष्ट्रीय निकायों ने भी कड़े कानून बनाने की सिफारिश की है. मनी-लॉन्ड्रिंग न केवल राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने को प्रभावित करता है बल्कि अन्य जघन्य अपराधों को भी बढ़ावा देता है, जैसे कि आतंकवाद, NDPS से संबंधित अपराध|

क्या सीबीआई,इन्कम टेक्स,डीजीजीआई और ईडी की संयुक्त टीम चलाएगी इन बिल्डरों के काले कारनामो के विरुद्ध ऑपरेशन ब्लेक मनी?

जैसा कि इस रिपोर्ट मे खुलासा किया गया है कि जयपुर समेत राजस्थान के कई रियल स्टेट और बिल्डर समूहो पर इन्कम टेक्स,डीजीजीआई के कई बार छापे पड़ चुके है|

लेकिन इन समूहों की विभाग के अधिकारियों से साँठ-गांठ के चलते और विभिन्न जांच एजेंसियों मे आपसी सामंजस्य की वजह से आज तक प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पायी है और इसी का फायदा उठा कर इन कंपनियों के कर्ता-धर्ताओ द्वारा मामूली सा टेक्स देकर सारा मामला रफा-दफा करवा दिया जाता है|

चूंकि यह मामला संगठित आर्थिक अपराध से संबन्धित है अतः इस मामले मे सीबीआई का हस्तक्षेप आवश्यक है|इसी के साथ चूंकि बिल्डिंगों और जमीनो के धंधे मे अधिकांश पैसो का आदान प्रदान हवाला,शेल कंपनियो और अन्य दो नंबर के माध्यमों से किया जाता है अतः इस मामले को मनी लोंडरींग का मानते हुए,प्रवर्तन निदेशालय की भी कार्यवाही आवश्यक प्रतीत होती है|

ऐसे मे चाहिए कि केंद्रीय सरकार द्वारा सीबीआई,इन्कम टेक्स,डीजीजीआई और ईडी की संयुक्त टीम बनाकर इन कंपनियों के काले कारनामो के विरुद्ध ऑपरेशन ब्लेक मनी चलाये|